न्यायालय अपर कलक्टर, नागौर

बइजलास – श्री मनोज कुमार, आर0ए0एस0

राजस्व अपील संख्या 208/2018

अपीलान्ट	बनाम	रेस्पोडेन्ट
पूसादास पुत्र मेघदास जाति साद निवासी मालगांव तहसील व जिला नागौर।		तहसीलदार नागौर।

उपस्थिति 1. श्री भगवान सिंह राठौड अपीलांट की ओर से।
2. श्री कुन्दन सिंह आचीणा अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट की ओर से।

निर्णय दिनांकः07.08.19

{1}–मामलें के संक्षिप्त मे तथ्य इस प्रकार है कि अपीलान्ट ने यह अपील धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत तहसीलदार, नागौर द्वारा धारा 91 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण संख्या 33/2018 सरकार बनाम पूसादास में निर्णय दिनांक 28.05.18 के तहत मौजा मालगांव के खसरा नं. 197 रकबा 0.05 बीघा गै.मु. गोचर भूमि से बेदखली व शास्ति से असंतुष्ट होकर दिनांक 11.09.18 को प्रस्तुत की गई है। अपीलान्ट की अपील दिनांक 17.09.18 को मियाद के बिन्दु पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को जरिये सम्मन सुनवाई हेतु तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड मंगवाया गया। अपीलांट द्वारा अपनी अपील के समर्थन में तहसीलदार नागौर के प्रकरण सं. 33/18 सरकार बनाम पूसादास मे पारित निर्णय दिनांक 28.05.18 की फोटोप्रति, ग्राम मालंगाव की मिसल बंदोबस्त की फोटोप्रति तथा ग्राम मांलगांव की खतोनी संवत 2007 की फोटोप्रति पेश की। रेस्पोडेन्ट की ओर से श्री कुन्दनसिंह आचीणा राजकीय वकील उपस्थित हुए।

{2}–उभयपक्ष के वकुलाय की बहस सुनी गई। अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक द्वारा मियाद के बिंदु पर बताया गया कि अपीलांट को नोटिस मिलने पर तहसील कार्यालय मे उपस्थित होकर निवेदन किया कि हस्तगत भूमि मौके पर कभी गोचर नही रही, इसलिये अपीलांट का किसी भी गोचर भूमि पर कोई कब्जा नही है बल्कि जागीरदार द्वारा अपीलांट सहित अन्य लोगो के निवास के लिये आबादी के चिपती ही दी गयी उक्त भूमि पर पीढियो से कब्जा, निवास उपयोग उपभोग रहता चला आया है व खसरा नं. 197 के साबिका खसरा नं. 174 मिन मे संवत 2020 मे गलत ढंग से गोचर किस्म भूलवश दर्ज हो रखी है। जिस पर तहसील कार्यालय मे अपीलांट के हस्ताक्षर करवा कर यही कहा गया कि कार्यवाही हाजा ड्रोप कर दी जायेगी वापस आने की जरूरत नही है चूंकि चारो तरफ सैकडो मकानात है उसका भी पुराना मकान है इसलिये उसके विरूद्व कार्यवाही समाप्त कर दिये जाने के विश्वास मे रहा। मगर ऐसा नही हुआ और तहसीलदार ने बिना विधिक प्रक्रिया अपनाये, बिना पटवारी हल्का के सशपथ बयान करवाये उसी दिन दिनांक 28.05.18 को अपीलांट की पीठ पीछे निर्णय पारित करते हुए बेदखली व जुर्माना का आदेश पारित किया, जिसकी कोई जानकारी अपीलांट को नही रही, हाल ही मे पटवारी हल्का मौके पर आया व अपीलांट को पुराने रहवासी मकान से बेदखल करने का निर्णय होने बाबत बताया तब अपीलांट तुरंत तहसील कार्यालय मे जाकर नकल का आवेदन पेश किया। जिस पर दिनांक 06.09.18 को प्रमाणित प्रतियां प्राप्त होने पर सर्वप्रथम निर्णय की जानकारी हुई तत्पश्चात दिनांक 7.8.18 को कानूनी राय लेकर अपील तैयार करवायी गई। दिनांक 10.09.18 को अपील पेश की गई। जिससे देरी माफ कर अपील तारीख जानकारी से अंदर मियाद शुमार करना न्यायोचित है। जिसका राजकीय वकील द्वारा विरोध नही किया गया है। अतः मियाद के बिन्दु पर नरम रूख अपनाते हुए अपीलांट की अपील अंदर मियाद शुमार की जाती है। वकील अपीलांट ने आगे अपनी अपील के तथ्यों को दोहराते हुए तर्क दिया कि–

{2}(I)–अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय जैर अपील कतेई गलत, विधि विरूद्व व मौके की स्थिति के विपरीत हाने से निरस्तनीय है।

{2}(II)–चूंकि अपीलांट के विरूद्व इकतरफा मे निर्णय जैर अपील पारित किया गया है जिसकी अपीलांट को कोई जानकारी नही रही थी, अपीलांट के सामने न तो कभी कोई पटवारी हल्का मौका निरीक्षण करने आया न अपीलांट के सामने निर्णय लिखाया जाकर सुनाया गया न मौका निरीक्षण करवाया गया न भूमि की गलत दर्ज किस्म बाबत कोई जांच की गयी मात्र रेकर्ड मे राजस्व व सेटलमेंट कर्मचारियो की गलत से किस्म गलत दर्ज हो रखी होने की आड मे कदीमी पीढियो पुरानी आबादी बसी भूमि पर बने अपीलांट को

अपर कलक्टर, नागौर

मकान को गोचर भूमि मे मानकर निर्णय जैर अपील पारित करने मे अधीनस्थ न्यायालय ने भारी कानूनी भूल की है। जबकि मामला मात्र रेकर्ड का अवलोकन कर गलत दर्ज किस्म गोचर को दुरूस्त करने व पुरानी कब्जे को नियमन करने का मामला था मगर अधीनस्थ न्यायालय ने इन महत्वपूर्ण तथ्यो को नजर अंदाज करते हुए बिना किसी अर्जेन्सी के आनन फानन मे दूसरी पेशी पर ही बिना पटवारी के सशपथ बयान करवाये, बिना अपीलांट को पटवारी से जिरह का अवसर दिये जल्दबाजी मे निर्णय पारित किया गया है। जो अपास्त किये जाने योग्य है। तत्कालीन तहसीलदार ने अनियमितता बरतते हुए सारी गैर कानूनी कार्यवाही की है। तहसीलदार ने बिना किसी आधार के मात्र खानापूर्ति करते हुए दूसरी पेशी पर ही जवाब लेना बताया जा रहा है व उसी दिन निर्णय कर दिया गया जो कतई विधि सम्मत नही है विधि के प्रावधानो का खुला उल्लंघन किया गया है निरंकुश निर्णय पारित हुआ है। इन परिस्थितियो मे निर्णय जैर अपील विधि सम्मत व बोलता हुआ निर्णय नही है अपास्त किये जाने योग्य है। अपील अपीलांट स्वीकार योग्य है व उक्त खसरा की किस्म भूमि अंगोर गलत दर्ज हो रखी है। जिसे पूर्व की भांति दुरूस्त कर उक्त भूमि अपीलांट के नियमन योग्य होने से नियमन किये जाने का निवेदन किया है। वकील अपीलांट द्वारा राजस्व ग्रुप–6 विभाग के परिपत्र दिनांक 11.1.2000 की ओर ध्यान दिलाया तथा तर्क दिया कि आराजी भूमि पर उनके मकान बाडे इत्यादि बने हुए है तथा 01.01.2000 से पूर्व मे मकान बाडो हेतु किये गये अतिक्रमण को नियमन किया जाना चाहिये। आराजी भूमि की किस्म गोचर है। जो इस परिपत्र के तहत वर्जित भी नही है। इसके अलावा खतोनी संवत 2006 मे आराजी भूमि बारानी अवल दर्ज हुई है। जिसको गोचर दर्ज करने का किसी को अधिकार नही होते हुए भी गलत रूप से गोचर दर्ज किया गया है। इसलिये नियमन हेतु निर्देश दिये जाने चाहिये।

{2}(III)–अपीलांट के मकान के आस पास चारो तरफ आबादी बसी हुई है सैकडो मकान बने हुए है पटवारी हल्का ने मनमर्जी से मात्र 8–10 व्यक्तियो के खिलाफ गोचर पर अतिक्रमण की सरासर झूठी रिपोर्ट कर दी, जबकि खसरा नं. 197 गोचर गलत दर्ज हो रखा है जिसकी पूर्व मे अपीलांट वगैरा को कोई जानकारी नही हो सकी थी, चूंकि इस खसरा नं. 197 के पुराने खसरा नं. 174 मिन मौजा मालगांव जागीरदार भोजराजसिंह पुत्र नरसिह राजपूत के अलावा काबिल काश्त भूमि दर्ज रही है जो सवत 2006 से 2020 तक दर्ज रही तथा उस दौरान जागीरदार ने अपीलांट के पूर्वजो को रहने के लिये उक्त भूमि दे दी थी जिस पर उनके कदीमी मकानात बने हुए है व पुराने समय से यानि पीढियो से निवास करते आ रहे है मौके पर लोगो के मकान, पानी के टांके, पशुओ के बाडे बने हुए है घरो मे विद्युत आदि के कनेक्शन लिये हुए है तथा इस मकान के अलावा अपीलांट के परिवार वालो के निवास का अन्य कोई मकान व जायगा नही है इसलिये तहसीलदार को सारी स्थिति स्पष्ट करने पर एक बार तो उन्होने कार्यवाही ड्रोप करने का कह कर अपीलांट को भेज दिया बाद मे एकाएक उसी दिन की तारीख अंकित करते हुए मनमर्जी से एक ही तरह के 8–10 व्यक्तियो के विरूद्व सरासर गलत तथ्य दर्ज करते हुए निर्णय बेदखली व जुर्माने के पारित कर दिये गये व उसकी आड मे पटवारी हल्का वगैरा अपीलांट को बेदखल करने पर आमादा है जो कतई विधि सम्मत नही है भूमि कतई गोचर नही है न कभी गोचर रही न आज दिन है गोचर के रूप मे काम आई है मात्र संवत 2020 मे सेटलमेंट कर्मचारियो की भूल या लापरवाही से गोचर किस्म दर्ज कर दी है जिसका खामियाजा अपीलांट वगैरा को अब भुगतना पड रहा है यदि अपीलांट को इस विधि विरूद्व निर्णय की आड मे बेदखल कर दिया गया तो अपीलांट के परिवार को अपूर्णीय क्षति होगी, निवास करना दुभर हो जावेगा, विधिक अधिकारो पर भारी कुठाराघात होगा, जबकि मौके की स्थिति को देखने से स्पष्ट है कि मौके पर संवत 2020 से पुराने समय के मकानात बने हुए है। वैसी सूरत मे सवत 2075 मे अतिक्रमण कर मकान बनाना कतई माने जाने योग्य नही है मौका निरीक्षण करने मात्र से पटवारी की उक्त रिपोर्ट व नया अतिक्रमण करने का कथन अपने आप मे झूठा साबित हो जाता है इन परिस्थतियो मे निर्णय जैर अपील अपास्त किया जाकर मौका निरीक्षण तहसीलदार की अध्यक्षता मे टीम से करवाया जाकर भूमि की किस्म गोचर दुरूस्त करवा कर मौके पर काबिज पुराने मकानात वालो के नाम भूमि नियमन करने की उचित कार्यवाही करने के आदेश के साथ पत्रावली रिमाण्ड की जाना प्रकरण के तथ्यो व परिस्थतियो के अनुसार आवश्यक व न्याय संगत है।

{2}(IV)–अपीलांट का कोई नया कब्जा या अतिक्रमण नही है पीढियो पुराना कब्जा है कभी किसी की शिकायत नही रही है न गोचर के संबध मे कभी किसी की शिकायत नही रही है न गोचर के संबंध मे कभी राजस्व कर्मचारियो ने ऐसी कोई आपति पचासो वर्षो मे कभी की थी। हाल ही मे गांव मालगांव से

अपर कलक्टर, नागौर

सामोलाई नाडी भैरूजी के मंदिर तक आने जाने के कटाणी रास्ते का उम्मेदाराम कुम्हार, हरदीनाराम, थानाराम जाट वगैरा ने आम रास्ता पर अवरोध करने पर उनके विरूद्व एसडीओ नागौर के समक्ष ग्रामवासियो के साथ अपीलांट ने भी शिकायत की जिससे नाराज होकर उक्त लोगो ने पटवारी हल्का को अपने अनुचित दबाव व प्रभाव मे लेकर एकाएक अपीलांट सहित 8–10 परिवारो को नाजायज तंग परेशान करने व दबाव बनाने के लिये मिथ्या रिपोर्ट अतिक्रमण बाबत अपीलांट के विरूद्व ही तहसीलदार के समक्ष पेश करवा दी व उसमे आगे कोई विधि सम्मत कार्यवाही नही हो इसलिये तहसीलदार से आनन फानन मे यह निर्णय पारित करवा दिया जबकि सारी स्थिति तहसीलदार के समक्ष आने के बावजूद पटवारी के बयान नही करवाये व बिना किसी अर्जेन्सी के निर्णय पारित कर दिया यदि पटवारी के बयान करवाये जाते, अपीलांट को पटवारी से जिरह का अवसर दिया जाता व अन्य साक्ष्य सबूत अपीलांट को पेश करने का अवसर दिया जाता व तहसीलदार स्वयं अपने स्तर पर मौका निरीक्षण करते तो ऐसा निर्णय कतई पारित नही हो सकता था मगर ऐसी विधिक प्रक्रिया अपनाये बिना ही निर्णय पारित किया है। जो विधि सम्मत नही है अपास्त किये जाने योग्य है।

{3}–राजकीय अभिभाषक द्वारा बहस के दौरान बताया गया कि आराजी भूमि पर अपीलांट का कब्जा मौजा मालगांव में स्थित गोचर भूमि पर अतिक्रमण किये जाने पर विधिवत प्रकरण दर्ज कर अपीलांट को नोटिस जारी किया गया। अधीनस्थ न्यायालय मे अपीलांट उपस्थित भी हुआ है तथा उसके द्वारा जवाब भी पेश किया गया है। अपीलाधीन आदेश में अपीलान्ट को अतिक्रमी माना जाकर निर्णय जैर अपील पारित किया गया है, जो सही एवं उचित होने से यथावत कायम रखा जाना चाहिये।

{4}– उभयपक्ष के वकुलाय की बहस पर मनन किया गया। पटवारी हल्का की अतिक्रमण रिपोर्ट में आराजी भूमि वाके मालगांव के खसरा नंबर 197 रकबा 0.05 बीघा गोचर भूमि पर अपीलांट का अतिक्रमण किया जाना अभिलेख से पाया गया। आदेश जैर अपील पारित करने से पूर्व अपीलान्ट को विधिवत नोटिस दिया गया है तथा अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय मे उपस्थित होकर अपनी जवाबदेही भी प्रस्तुत की है। आराजी भूमि की किस्म गैर मुमकिन गोचर है, जो सार्वजनिक उपयोग की भूमि है। जहां तक परिपत्र दिनांक 11.1.2000 के तहत अतिक्रमण के नियमन किये जाने का प्रश्न है, यह कार्यवाही प्रशासनिक कार्यवाही है। जिसके लिये अपीलांट सक्षम स्तर पर चाराजोही करने हेतु स्वतंत्र है। यहां यही देखा जाना है कि राजकीय भूमि पर अतिक्रमण किये जाने की स्थिति मे राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 91 के तहत विधि अनुसार कार्यवाही की गई अथवा नही। आराजी भूमि पर अपीलांट का अतिक्रमण होना बखूबी साबित है तथा गोचर भूमि पर किये गये अतिक्रमणो को हटाये जाने को लेकर राज्य सरकार द्वारा समय समय पर निर्देश भी जारी किये गये है तथा माननीय उच्च न्यायालय द्वारा भी ऐसी भूमियो को नियमन किये जाने पर एतराज किया गया है। गोचर भूमि सार्वजनिक भूमि है। जिस पर अतिक्रमण किया जाना रिकार्ड से साबित है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश विधि सम्मत होने से इसमें कोई हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत नही होता है।

{5}– उपरोक्त विवेचनात्मक विवेचन के आधार पर अपीलान्ट की अपील खारिज की जाती है। आदेश जैर अपील कायम रखा जाता है।

{6}– निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मनोज कुमार)
अपर कलक्टर,नागौर